प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0— सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel- 01382-2224570
Fax- 01382-2229847
E-mail Id:- eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पंत्राक ..../ पी0एम0जी0एस0वाई0— सिंचाई खण्ड

दि0 30/03/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषयः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.86 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तान्तरण। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/8123/2014)

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/48/2019/एफ0सी0/730 दिनॉक 17.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के द्वारा 6 बिन्दुओ पर आपत्तियॉ के निस्तारण निम्नवत है।

क्र0 सं0	आपत्ति	सैदान्तिक स्वीकृति की शर्ते	निस्तारण
1	The Proposal is not received online. State Goverenment may submit the proposal online	—	इस खण्ड द्वारा प्रपोजल को ऑनलाईन करवाने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जायेगा।
2	State Government may submit the CA scheme of Rs. 3277428.00 as per which the amount is deposited in the CAMPA.		प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन के पत्रॉक 1728/12—1 दिनॉक लैन्सडौन 08.06.2020 के द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 3277428.00 एंव एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 3193020.00 अर्थात कुल 6470448.00 को भारत सरकार के कैम्प में ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्न :— ऑनलाईन बैबसाईड की छायाप्रति।) उपरोक्त का वृक्षारोपण का प्राक्कलन गठन आपके स्तर से गठित किया जाना है।
3	In compliance to condition No. (ख) 3, name of the CA area has not been mentioned in undertaking. State govenement may submit an undetaking mentioning the name of the proposed CA area, that the selected CA area has not been proposed for any other proposal in past.	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपातरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफेकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावो में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भेल्डुंगा की भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन के द्वारा आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना है।
4	State Government may submit the Khatuni in original		खतौनी को मूल में संलग्न किया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड कोटद्वार (गढवाल)

5	The compliance to condition No. 7 ha not been submitted. State Government may submit the DFO's Site Inspection Report of proposed road and CA area.		प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन स्तर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के निरीक्षण की कार्यवाही की जानी है एवं समरेखण पर प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से प्रस्ताव गठन के समय निरीक्षण किया जा चुका है। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न)
6	वन मंडल अधिकारी के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नही है कि सी0ए0 हेतु प्राप्त भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया है अथवा संरक्षित वन तथा किस दिनॉक को? राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।		प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन एवं वन विभाग के उच्च स्तर से कार्यवाही की जानी है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

पत्रांक 216 / पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड तद्दिनांक..................

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रानगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार(पौडी गढवाल)

संशोधित

आदेश

उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या–166/रा०का०/2018–19 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता,पी०एम०जी०एस०वाई०–सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्राम नौगांव–बुकण्डी मोटर मार्ग पर कि०मी० 15.00 से 21.00 कि०मी० के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 9.720 है०राज्य सिविल भूमि विधिवत रूप स वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव–'बुकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 9.720 है० भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच की गई। ग्राम बुकण्डी में क्षतिपूरक स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नही है,जिस कारण उसके स्थान पर ग्राम भेलढुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला,तहसील यमकेश्वर में नॉन०जेड़०ए० खतौनी खाता संख्या– 05 मध्ये खसरा संख्या– 635 मध्ये 9.720 है० भूमि कि श्रेणी–9(3) ड़ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी गौहरी रेंन्ज,राजस्व विभाग एवं पी० एम० जी० एस०वाई०–सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा किया गया,चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गई है।

1– प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग,चारागाह,गौचर,पनघट,कब्रिस्तान आदि की भूमि नही है।

जनपद गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर के ग्राम भेलढुंगा पट्टी तल्ला उदयपुर तहसील यमकेश्वर में नॉन०जेड़०ए० खतौनी खाता संख्या– 05 मध्ये खसरा संख्या– 635 मध्ये 9.720 है० भूमि कि श्रेणी–9(3) ड़ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

!! कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!

संख्या-2452 /8–एल०ए०सी०–(2020–2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20 ,2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव,राजस्व अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०–सिंचाई खण्ड कोटद्वार।
5– उपजिलाधिकारी,यमकेश्वर।
6– प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण,लैन्सडोन वन प्रभाग कोटद्वार।

छायाप्रति सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियन्ता IV
पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

नकल खतौनी NON.Z.A

ग्राम - भेलदुंगा, पट्टी - उदयपुर तल्ला, तहसील - यमकेश्वर (गढ़वाल,

2	3	4	5	6	7	8 – 21
5	बंजर		635 782 802 ↓ 1608 1620	10.337 X .020 .539		मु० आ० तहसीलदार यम० दि० -03-12-202 के आदेश जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल के । 4521B-एल०ए० सी० -(2020-2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20, 2020-परवाना-आदेश उपजि -कारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या-166/र०- 2018-19 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अव कराया है कि अधिशासी अभियन्ता पी० एम०जी एस० वाई० "सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रध मंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम - नौगांव -बकर्ण मोटर मार्ग पर कि०मी० 15.00 से 21.00 कि०मी अन्तर्गत क्षतिपूरक, वृक्षारोपण हेतु 9.720 है० राज्य सिविल भूमि विधिवत रूप से वन विभ के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध कि गया है, उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमके -श्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रध मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-बक० मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 9.7 है० भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जां की गयी, ग्राम बकर्ण्डी में क्षतिपूरक स्थल हेतु भू। उपलब्ध नहीं है जिस कारण उसके स्थान पर ग्रा भेलदुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला तहसील यमके में नॉन० जेड० ए० खतौनी खाता 05 मध्ये खस० संख्या-635 मध्ये 9.720 है० भूमि की श्रेणी-9। 3. अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की ग है, प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण वन वि के वन क्षेत्राधिकारी गौहरी रेन्ज राजस्व विभाग एवं पी० एम० जी० एस० वाई० -सिंचाई खण्ड कोट० के द्वारा किया गया चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पाई गयी है, 1. प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग, चारागा गौचर, पनघट, कब्रिस्तान आदि की भूमि नहीं है जनपद गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर के ग्राम भेलदुंगा में पट्टी तल्ला उदयपुर, तहसील यमकेश्वर में नॉन० जेड० ए० खतौनी खाता सं०-0 मध्ये खसरा संख्या-635 मध्ये 9.720 है० भूमि की श्रेणी-9(3) 3 अन्य खेती योग्य बंजर भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, ह०- (धीराज सिंह गर्ब्याल) जिलाधिकारी गढ़वाल) 20 नवम्बर 2020,
			-28	13.535		

महोदय,
नकल असल से की गयी है,

Pundir
11/12/2020

(महिपाल सिंह पुण्डीर)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र उदयपुर तल्ला-02/03
तहसील यमकेश्वर
जिला- पौड़ी गढ़वाल

(जाँच रिपोर्ट उप राजस्व निरीक्षक तल्ला बनगढ़ु)

महोदय,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी० एम० जी० एस० वाई० सि० खण्ड कोटद्वार गढ़वाल के पत्रांक 1771 / दिनांक 12/9/2016 एवम् श्रीमान तहसीलदार महो० आदेश के परिपालन में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव कुकरडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल पर 9.72 हैक्टेयर भूमि बावत जाँच स्थलीय एवम् अभिलेखों आधार की गई, जाँच से विदित है कि ग्राम कुकरडी में क्षतिपूरक स्थल हेतु जगह उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उस के स्थान पर ग्राम मेलडुंगा पट्टी तल्ला उदयपुर तहसील यमकेश्वर में NONZA भूमि के खतौनी खाता सं० 5 महके खसरा नं० 635 मध्ये 9.72 हैक्टेयर भूमि जो कि श्रेणी 9(3) ड अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में उपयुक्त सिविल उत्तराखण्ड की भूमि चयनित की गई है।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रिपोर्ट सेवा में सम्प्रेषित है।

संलग्न कागजात

(1) NONZA खतौनी नकल - 1 वर्क।

अग्रसारित।

तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)

उप राजस्व निरीक्षक
तल्ला बनगढ़ु

ग्राम- भेलडुँगा पट्टी- तल्ला उदयपुर II तहसील- यमकेश्वर जिला- पौड़ी गढ़वाल

खाता संख्या	खातेदार या काबिज का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं०	क्षेत्रफल	योग	अन्य विवरण	
	वर्ग 6 (2) [illegible] अन्य श्रेणी [illegible] भूमि					
5	बंजर	635	1.327	[illegible]		

नोट :- खसरा नं० 635 में से 1.172 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित [illegible] के [illegible] में प्रयुक्त [illegible] उत्तराखण्ड की भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण हेतु [illegible] की गई है।

तहसीलदार
यमकेश्वर (पौड़ी गढ़वाल)

प्राप्त-7

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from [illegible] for diversion under FCA-1980 of [illegible] ha of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of [illegible]. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated ....

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed Other forests measuring [illegible] ha. [illegible]

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. [illegible]

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. No.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:– प्रस्तावित वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी [illegible] की जाय)

Place........[illegible]

Date .[illegible]

(Signature)

Name..........प्रभागीय वनाधिकारी

Designation...भूमि संरक्षण वन प्रभाग

Office Seal.....[illegible]

N.B. * State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest-land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report, from the conservator of forests is required.

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Dem
1	FP/UK/ROAD/11142/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11142/2015) Naudkhal Malakota Road to Sirasu M R	ROAD111422015408	6111142408	29 Apr 2020	**CA:** 5948600/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 38635980/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 44584580/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :15 Jul 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 16 Jan 2021 **Transaction Date** : 21 Jan 2021	Dem Gene
2	FP/UK/ROAD/8123/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8123/2014) Construction of Naugoan Bukundi Motor Road Km 15.00 to 21.00	ROAD81232014278	6181230278	26 Feb 2020	**CA:** 3277428/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3193020/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 6470448/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 30 Jun 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :01 Jul 2020 **Transaction Date** : 08 Oct 2020	Dema Gene

परियोजना का नामः– **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नौगांव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य।**

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 24.02.2012 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री आर जी अरोडा वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री आलोक काला उपनिरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मनोज अग्रवाल कनिष्ठ अभियन्ता, श्री सुशील कुमार अपर सहायक अभियन्ता एवं श्री महेन्द्र कुमार खण्डीय अमीन द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि ....शून्य......हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 4.86 हे0, वन पंचायत भूमि ....शून्य......हे0 एवं नाप भूमि 1.372 हे0 प्रभावित होती हैं। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)..
....
....

अमीन
सिचांई खण्ड लो0नि0वि0
कोटद्वार

कनिष्ठ अभियन्ता
सिचांई खण्ड लो0नि0वि0
कोटद्वार

अपर सहायक अभियन्ता
सिचांई खण्ड लो0नि0वि0
कोटद्वार

सहायक अभियन्ता
सिचांई खण्ड लो0नि0वि0
कोटद्वार

अधिशासी अभियन्ता
पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0)
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0
कोटद्वार

क्षेत्रीय वनाधिकारी
लालढांग रेंज
लालढांग

राजस्व उपनिरीक्षक
सिमूली

वन दरोगा
कण्डारा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कोटद्वार उप वन प्रभाग
कोटद्वार

तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)

मुख्य विकास अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी
यमकेश्वर (गढ़वाल)

कृते जिलाधिकारी
गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन (गढ़वाल)

कार्य का नाम - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौगाँव बुरण्डी मोटर मार्ग के किमी 15.00 से 21.100 के अन्तर्गत बाधित वृक्षों की सूची,

सिविल भूमि में खड़े पेड़ो की सूची,

क्रमांक	प्रजाति		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	योग
①	कुसुम		–	1	5	3	1	–	1	1	–	..	12
②	हौड़ी		–	3	14	8	2	1	–	–	–	..	28
③	रोहणी		–	40	28	2	–	–	–	–	–	–	70
④	हल्दू		–	–	–	1	2	–	2	–	1	–	6
⑤	साल		–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	5
⑥	कोकाट		–	11	17	6	1	–	–	1	–	–	36
⑦	अमलताश		–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	7
⑧	खैर		–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	3
⑨	बेल		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
⑩	पापड़ी		–	–	1	1	–	–	–	–	–	..	2
⑪	बारखंनी		–	–	1	–	–	–	–	–	–	..	1
⑫	बरगद		–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
											योग		172

J.E

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो० नि० वि०
पी.आई.यू. (पी.एम.जी.एस.वाइ.)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड, लो० नि० वि०
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन (गढ़वाल)

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Excutive Engineer, I.D. P.W.D. Kotdwar..................for diversion under FCA-1980) of 4.86 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of Naugaun Bhukandi Motor Road (Under P.M.G.S.Y.)---------The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated---------------

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring ----4.86----ha. सिविल वन भूमि

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. No

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of.-

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required.- No

a) ✓ The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place:-...Lansdown.........

Date......11/07/2013....

Name......प्रभागीय वनाधिकारी.

Designation भूमि संरक्षण वन प्रभाग..

Office Seal लैन्सडौन (गढ़वाल)

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

Tel/ Fax:- 01386-263144, 262322, e-mail:- dfo_soillansdowne@rediffmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः– /1728/12-1 दिनांक, लैन्सडौन, 08/06/ 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिचाई खण्ड कोटद्वार।

विषयः– पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नौगांव बुकण्डी मोटर मार्ग 4.86 हे0 वन भूमि का ग्राम विकास विभाग को प्रत्यवर्तन।

संन्दर्भः– भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/48/2015/एफ0सी0/27 दिनाक 26.02.2020

महोदय,

.उपरोक्त विषयक संन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्राक 8वी/यू0सी0पी0/06/48/2015/एफ0सी0/27 दिनाक 26.02.2020 द्वारा उक्त मोटर मार्ग हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, के कम में शर्त सं0 01 से 085 तक की कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 में अधिरोपित शर्त प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पेड स्थनों पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो का रखरखाव वित्तिय वर्ष 2020–21 के लिए 2000 वृक्षों का रोपण किया जायेगा जिसके लिए आपको (337184 X 9.72) 3277428.48 या 3277428 (बत्तीस लाख सत्तहतर हजार चार सौ अठ्ठाईस) रूपये की धनराशि आपको जमा करानी होगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त स0 2 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि (4.86X 657000) 3193020.00 (इक्कातीस लाख तिरानवें हजार वीस) रूपये आपके द्वारा जमा की जायेगी।
3. शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय का बचनबद्वता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।
4. उक्त समस्त धनराशि वन विभाग के कैम्पा मद अन्तर्गत प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना का प्राधिकरण के तर्थध निकाय के लेखा सं0 एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की कलर प्रमाणित छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैक डॉफ्ट/चैक की प्रमाणित छायाप्रति का विवरण देना होगा।
5. सडक निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip plantaiton की जायेगा। इस आशय की वचन वद्वता का प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फारेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0– 2564/1जी0–5070 दिनांक 02.06.2020 द्वारा हस्तांतरित सिविल क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु आने वाले व्यय को भी आपको जमा करना होगा। इस आशय का प्रमाण पत्र कृपया देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्रेश उपाध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

dfosoillansdowne@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः– 1873 / 12-1 दिनांक,लैन्सडौन, 12/04 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौगांव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.86 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु स्थानान्तरण। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0(FP/UK/ROAD/8123/2014)

संदर्भः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0–सिचाई खण्ड, कोटद्वार (गढवाल) का पत्रांक 216/पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड दिनांक 30.03.2022

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के द्वारा 6 बिन्दुओं पर आपत्तियों के निस्तारण निम्नवत है।

क्र0 स0	आपत्ति	सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्ते	निस्तारण
01	The proposal is not received online.State Government may submit the proposal online		प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया हैं।
02	State Government may submit the CA scheme of Rs.3277428.00 as per which the amount is deposited in the CAMPA		प्रस्ताव विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि 3277428.00 कैम्पा फण्ड में ऑनलाईन जमा कर दी गयी है। (संलग्नः–1 ऑनलाईन बैबाईड की छायाप्रति।)
03	In compliance to condition No. (ख) 3,name of the been mentioned in undertaking.State government may submitan undertaking mentioning the name of proposed CA area, that the selected CA area has not been proposed fo any other proposal in past.	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपातंरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावो में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित सम्बन्धी प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 1546/12–1 दिनांक 08.02.2021 से आपको प्रेषित की गई है।
4	State Government may		प्रस्तावक विभाग द्वारा खतौनी को मूल

Scanned by CamScanner

5	The compliance to condition No.7 ha not been submitted.State Government may submit the DFO's site inspection Report of proposed road and CA area		संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है **(संलग्नकः–4)**
6	वन मंडल अधिकारी के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि सी0ए0 हेतु प्राप्त भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया है अथवा संरक्षित वन तथा किस दिनांक को ? राज्य सरकार से अनुरोध है ि कवह नोटिफिकेशन की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।		इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित सम्बन्धी प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 1546/12–1 दिंनाक 08.02.2021 से आपको प्रेषित की गई है। तथा अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र सलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नकः–5 मूल में)**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अमरेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

OTC

पत्रांक 1873 / **12–1,** **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता ,उप प्रबंधक, एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड पी0आई0यू0–दुगड्डा।

(अमरेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

Scanned by CamScanner

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11142/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11142/2015) Naudkhal Malakota Road to Sirasu M R	ROAD111422015408	6111142408	29 Apr 2020	**CA:** 5948600/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 38635980/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 44584580/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :15 Jul 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 16 Jan 2021 **Transaction Date** : 21 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7111412101223N37XHmalasnpv.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD111422015408)
2	FP/UK/ROAD/8123/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8123/2014) Construction of Naugoan Bukundi Motor Road Km 15.00 to 21.00	ROAD81232014278	6181230278	26 Feb 2020	**CA:** 3277428/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3193020/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 6470448/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 30 Jun 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :01 Jul 2020 **Transaction Date** : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6112912491216VOIZSCamScanne.pdf.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD81232014278)

Scanned by CamScanner

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2000 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/8123/2014 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव से बुकण्डी मोटर मार्ग के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त 9.72 है0 भूमि(सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक. **R-452/8–एल0ए0सी0– (2020–2021)** दिनांक 20.11.2020 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज करा दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नौगांव – बुकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 15.00 किमी0 से 21.00 किमी0 के अन्तर्गत राज्य सिविल भूमि खाता सं0......05......खसरा सं0....635.....मध्ये 9.720 कुल ...9.720...... हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक आर0 452 / 8–एल0ए0सी0–(2020–2021) दिनांक पौड़ी 20.11.2020 से जारी निर्देश के कम में ग्राम भेलढुंगा, पट्टी – उदयपुर तल्ला-02..........तहसील यमकेश्वर के NON ZA खतौनी खाता सं0....05........ ...खसरा सं0....635.......मध्ये 9.720 है. कुल ...9.720 है.......... हे0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरण एव नामान्तरण किया गया है। आज दिनांक ....3/01/2022.....को उक्त भूमि विभागीय कब्जे में ले लिया गया है, जो कि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रह है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(मनजीत सिंह गुसांई) व0र0आ0	वन क्षेत्राधिकारी गोदोली रेंज भू.सं.व.प्र. लैन्सडौन		(महिपाल सिंह पुण्डीर) राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र उदयपुर तल्ला-02 तहसील यमकेश्वर जिला- पौड़ी गढ़वाल
वन आरक्षी	वन क्षेत्राधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	राजस्व विभाग(प्रतिनिधि)

Scanned by CamScanner

नकल खतौनी NON.Z.A

ग्राम - भेलदुंगा, पट्टी - उदयपुर तल्ला, तहसील - यमकेश्वर (गढ़वाल),

1	2	3	4	5	6	7	8 — 21
	5	बंजर		635 782 802 ↓ 1608 1620	10.337 × .028 .535		मु० आ० तहसीलदार यम० दि०-03-12-202[illegible] के आदेश जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल के [illegible] 4521B-एल०ए० सी०-(2020-2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20, 2020-परवाना-आदेश उपजि[लाधि]-कारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या-166/र०-2018-19 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी० एस० वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम-नौगांव-बकण्डी मोटर मार्ग पर कि०मी० 15.00 से 21.00 कि०मी० अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 9.720 है० राज्य सिविल भूमि विधिवत रूप से वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है, उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-बकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 9.720 है० भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच की गयी, ग्राम बकण्डी में क्षतिपूरक स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है जिस कारण उसके स्थान पर ग्राम भेलदुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला तहसील यमकेश्वर में नॉन-जेड०ए० खतौनी खाता-05 मध्ये खसरा संख्या-635 मध्ये 9.720 है० भूमि की श्रेणी-9(3) ड. अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की गयी है, प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी गौहरी रेन्ज राजस्व विभाग एवं पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा किया गया चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गयी है। 1. प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग, चारागाह, गौचर, पनघट, कब्रिस्तान आदि की भूमि नहीं है। जनपद गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर के ग्राम भेलदुंगा में पट्टी तल्ला उदयपुर, तहसील यमकेश्वर में नॉन०जेड०ए० खतौनी खाता सं० 05 मध्ये खसरा संख्या-635 मध्ये 9.720 है० भूमि की श्रेणी-9(3) ड, अन्य खेती योग्य बंजर भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, ह०/- (धीराज सिंह गर्ब्याल) जिलाधिकारी गढ़वाल। 20 नवम्बर 2020,
				-28	13.535		

महोदय, नकल असल से की गयी है।

J. Pundir
11/12/2020

(महिपाल सिंह पुण्डीर)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र उदयपुर तल्ला-02/03
तहसील यमकेश्वर
जिला- पौड़ी गढ़वाल

Scanned by CamScanner

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from [illegible] for diversion under FCA, 1980 of 4.84 ha. of forest land for non forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of [illegible]. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/unclassed/Other forest, measuring [illegible] ha. [illegible]

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project [illegible]

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of - No

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required -

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction No ,

b) It has been found that the user agency has violated (Conservatinn), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1,.Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट – प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी [illegible] की जाय)

(Signature)

Place: [illegible]

Date: 31-[illegible]-2015

Name.........प्रभागीय वनाधिकारी

Designation: भूमि संरक्षण वन प्रभाग

Office Seal: [illegible]

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000/FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

Scanned by CamScanner

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0— सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel- 01382-2224570
Fax- 01382-2229847
E-mail Id- eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पत्रांक 774/ नौगॉव बुकण्डी/वनभूमि दिनॉक 28/12/2020

सेवा में

अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.86 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/48/2015—एफ0सी0/2765 दिनॉक 26.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.86 है0 सिविल वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

कम सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	मान्य है।
3. प्रतिकपूरक वनीकरण		
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर **9.72 है0** गैर वानिकी भूमि ग्राम भेल्डुंगा प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉं तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	मान्य है।
ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपातरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफेकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावो में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुये रिपोर्ट ई—पोटल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित उच्च स्तर से किया जाना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	मान्य है। जमा कर दिया गया है।
5. शुद्व वर्तमान मूल्य		
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनॉक 01.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रॉक 5—1/1198—एफ0सी0 दिनॉक 18.09.2003, 5—/2006—एफ0सी0 दिनॉक 03.10.2006 एवं 5—3/2007—एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.2731 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	मान्य है
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है। (वचन पत्र संलग्न है।)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यवर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 172 होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7	State Govt. will submit the DFO's Site Inspection Report of proposed road and CA in original	प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न है।

ALL LETTER 6.DOCX

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के https://parivesh.nic.in/ माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगें।	जमा कर दिया गया है। (संलग्न है।)
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईसारसी मादंडो के अनुसार सडक के दोनो किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधो की संख्या बढाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जांएगें।	मान्य है।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रामिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो की राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्ठादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेंगा।	मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	मान्य है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–एसी0सी0 दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी।	मान्य है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	मान्य है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोटल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तो का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करे एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेडो के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करे। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीध्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्नः– 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पंत्राक 774/ नौगॉव बुकण्डी/वनभूमि तदर्दिनॉक
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 1.–वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी पौडी गढवाल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, वन प्रभाग लैन्सडौन।
4. सहायक अभियन्ता – षष्ठ्म सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

F.R.A

P-50

प्रपत्र – 23.3

परियोजना का नामः–प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव भुकण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 15.00 से कि0मी0 21.100 के अन्तर्गत सिविल भूमि 4.86 है0 का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण– पत्र

जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.86 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

छायाप्रति सत्यापित

02/02/2021

सहायक अभियन्ता IV
पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

13.10.14

जिलाधिकारी

नोट– वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वाछिंत समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382- 224570
Phone : 01382- 229847
Fax : 01382- 229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.com

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सडक निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382- 224570
Phone : 01382- 229847
Fax : 01382- 229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.com

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने/वचन बद्वता का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की मॉग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/8123/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8123/2014) Construction of Naugoan Bukundi Motor Road Km 15.00 to 21.00	ROAD81232014278	6181230278	26 Feb 2020	CA: 3277428/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3193020/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6470448/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 30 Jun 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :01 Jul 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6112912491216VOIZSCamScanne.pdf.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD81232014278)
2	FP/UK/ROAD/11139/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11139/2015) Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	CA: 1394716/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1922375/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3317091/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Nov 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 18 Nov 2019 Transaction Date : 10 Dec 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111512151210DAFS1shiladanda_demand.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD111392015577)

02/02/2021
सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

संशोधित

आदेश

उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या–166/रा०का०/2018–19 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता,पी०एम०जी०एस०वाई०–सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्राम नौगांव–बुकण्डी मोटर मार्ग पर कि०मी० 15.00 से 21.00 कि०मी० के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ हेतु 9.720 है०राज्य सिविल भूमि विधिवत रूप स वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव–'बुकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 9.720 है० भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच की गई। ग्राम बुकण्डी में क्षतिपूरक स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नही है,जिस कारण उसके स्थान पर ग्राम भेलढुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला,तहसील यमकेश्वर में नॉन०जेड़०ए० खतौनी खाता संख्या– 05 मध्ये खसरा संख्या– 635 मध्ये 9.720 है० भूमि कि श्रेणी–9(3) ड़ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी गौहरी रेंन्ज,राजस्व विभाग एवं पी० एम० जी० एस०वाई०–सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा किया गया,चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गई है।

1– प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग,चारागाह,गौचर,पनघट,कब्रिस्तान आदि की भूमि नही है।

जनपद गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर के ग्राम भेलढुंगा पट्टी तल्ला उदयपुर तहसील यमकेश्वर में नॉन०जेड़०ए० खतौनी खाता संख्या– 05 मध्ये खसरा संख्या– 635 मध्ये 9.720 है० भूमि कि श्रेणी–9(3) ड़ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

संख्या–2452 /8–एल०ए०सी०–(2020–2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20 ,2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव,राजस्व अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०–सिंचाई खण्ड कोटद्वार।
5– उपजिलाधिकारी,यमकेश्वर।
6– प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण,लैन्सडोन वन प्रभाग कोटद्वार।

छायाप्रति सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियन्ता IV
पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

नकल खतौनी NON.Z.A

ग्राम - ठोलढुंगा, पट्टी - उदयपुर तल्ला, तहसील - यमकेश्वर (गढ़वाल)

2	3	4	5	6	7	8–21
5	बंजर		635 762 602 ↓	10.337 ×		मु० औ० तहसीलदार यमकेश्वर दि० 03-12-2020 के आदेश जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल के प०-6518-एस०एल०सी०-(2020-2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20 2020 परवाना-आदेश उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या-(C6) 2018-19 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० सिविल खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम [illegible] मोटर मार्ग पर कि०मी० 15.00 से 21.00 कि०मी० के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 0.320 है० राज्य सिविल भूमि लिखित रूप से वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है, इस प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 0.320 है० भूमि [illegible] के आधार पर स्थलीय जांच की गयी, ग्राम [illegible] में क्षतिपूरक स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है जिस कारण उसके स्थान पर ग्राम ठोलढुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला तहसील यमकेश्वर में [illegible] खतौनी खाता-05 मध्ये खसरा संख्या-635 मध्ये 0.320 है० भूमि की श्रेणी-6(3) अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की गयी है, प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण [illegible] के वन क्षेत्राधिकारी [illegible] एवं राजस्व विभाग एवं पी०एम०जी०एस०वाई० सिविल खण्ड कोटद्वार के द्वारा किया गया प्रस्तावित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गयी है, 1. प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग चारागाह, गौचर, पनघट, कब्रिस्तान आदि की भूमि नहीं है, अतएव गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर के ग्राम ठोलढुंगा में पट्टी तल्ला उदयपुर, तहसील यमकेश्वर में [illegible] खतौनी खाता संख्या-05 मध्ये खसरा संख्या-635 मध्ये 0.320 है० भूमि की श्रेणी-6(3) अन्य खेती योग्य बंजर भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, ह०- (धीराज सिंह गर्ब्याल) जिलाधिकारी गढ़वाल 20 नवम्बर 2020,
			1606 1620	.028 .535		
			28	13.535		

मध्येय, नकल असल से की गयी है,

छायाप्रति सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

(नरपाल सिंह पुण्डीर)
राजस्व उपनिरीक्षक
उदयपुर तल्ला-02/03
यमकेश्वर
जिला- पौड़ी गढ़वाल

उद्धरण NON Z.A खतौनी नकल

ग्राम- मेल्कुँआ पट्टी- तल्ला उदयपुर II तहसील- यमकेश्वर जिला- पौड़ी गढ़वाल

क्र०सं०	खतौनी खाता सं०	खातेदार या काबिज का नाम/पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं०	क्षेत्रफल	तौक	अन्य विवरण
		श्रेणी 6(2) का	अन्य श्रेणी कोटर बंजर भूमि –			
1	5	बंजर	635	10.337	[illegible]	

नोट : खसरा नं० 635 के मध्ये 9.72 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में उपयुक्त सिविल उत्तराखण्ड की भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण हेतु, नकल तैयार की गई है।

तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)

छायाप्रति सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
(गढ़वाल)

Scanned by CamScanner

डिजिटल मैप – जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत नौगांव–बुकण्डी (मिसिंग लिंक) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (भेलढुंगा सिविल क्षे0– 09.972 है0)

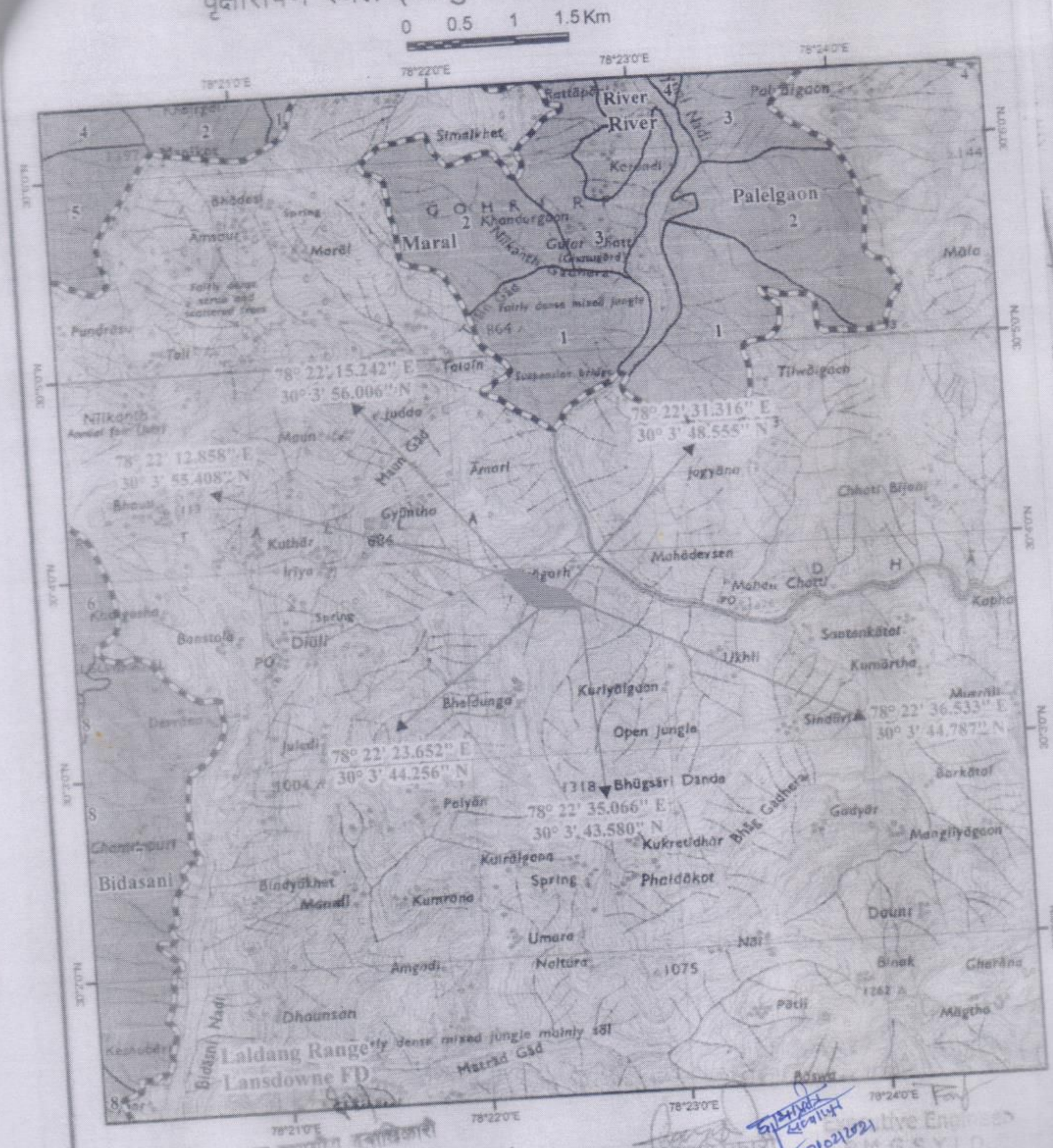

Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
प्री0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता VI

वन क्षेत्राधिकारी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.

जियो रेफेरेंस मैप – जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत नौगांव–बुकण्डी (मिसिंग लिंक) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (भेलढुंगा सिविल क्षे0– 09.972 है0)

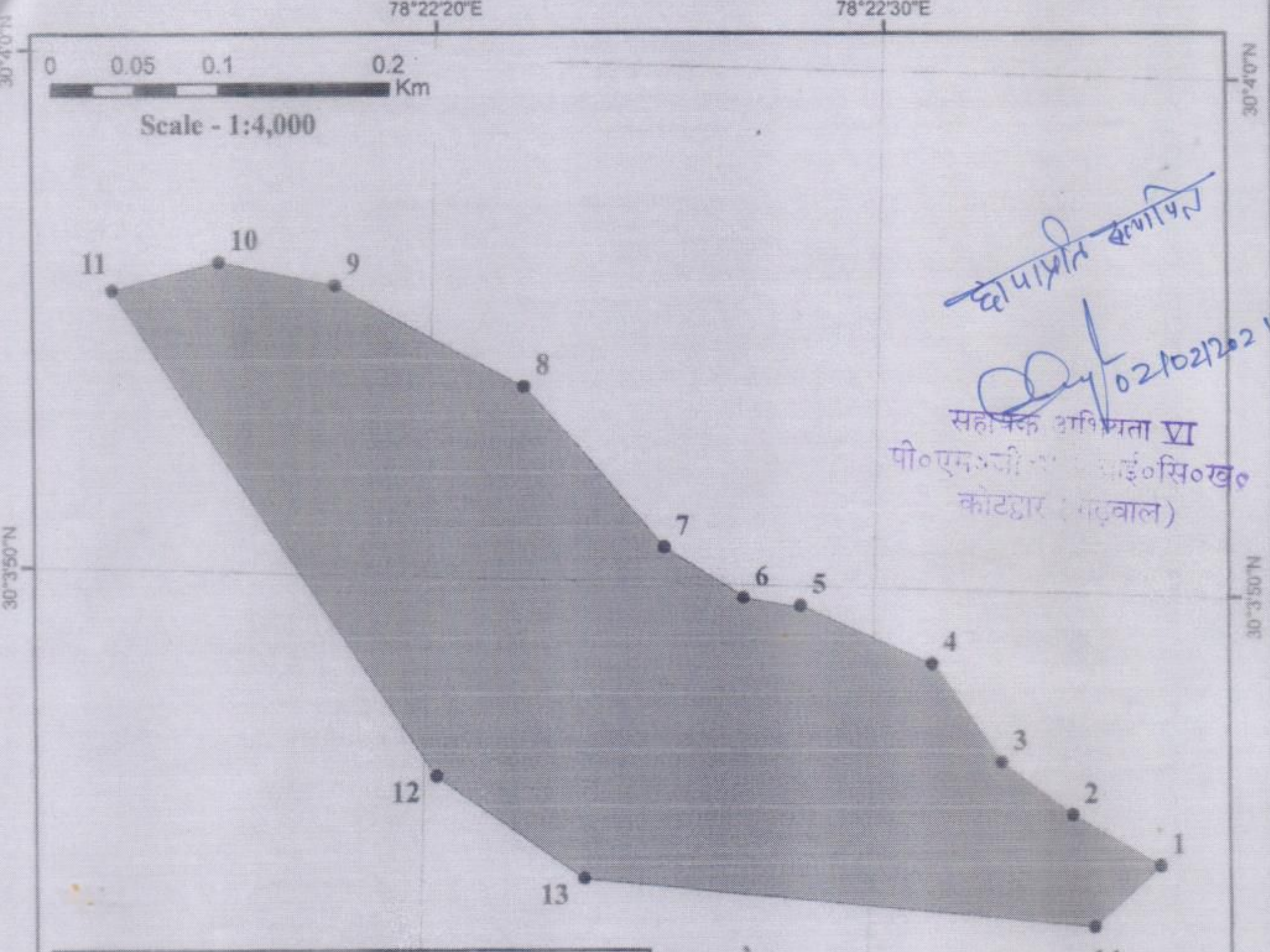

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 22' 36.533" E	30° 3' 44.787" N
2	78° 22' 34.526" E	30° 3' 45.713" N
3	78° 22' 32.921" E	30° 3' 46.694" N
4	78° 22' 31.316" E	30° 3' 48.555" N
5	78° 22' 28.373" E	30° 3' 49.621" N
6	78° 22' 27.103" E	30° 3' 49.736" N
7	78° 22' 25.303" E	30° 3' 50.697" N
8	78° 22' 22.102" E	30° 3' 53.743" N
9	78° 22' 17.835" E	30° 3' 55.613" N
10	78° 22' 15.242" E	30° 3' 56.006" N
11	78° 22' 12.858" E	30° 3' 55.408" N
12	78° 22' 20.281" E	30° 3' 46.141" N
13	78° 22' 23.652" E	30° 3' 44.256" N
14	78° 22' 35.066" E	30° 3' 43.580" N

छायाप्रति सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियन्ता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०खं०
कोटद्वार (गढ़वाल)

J.E

Executive Engineer

जिलाधिकारी
गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
मोहरी रेन्ज

संशोधित

आदेश

उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या–166 / र०का० / 2018–19 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता,पी०एम०जी०एस०वाई०–सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्राम नौगांव–बुकण्डी मोटर मार्ग पर कि०मी० 15.00 से 21.00 कि०मी० के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ हेतु 9.720 है०राज्य सिविल भूमि विधिवत रूप स वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव–'बुकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 9.720 है० भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच की गई। ग्राम बुकण्डी में क्षतिपूरक स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नही है,जिस कारण उसके स्थान पर ग्राम भेलदुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला,तहसील यमकेश्वर में नॉन०जेड़०ए० खतौनी खाता संख्या– 05 मध्ये खसरा संख्या– 635 मध्ये 9.720 है० भूमि कि श्रेणी–9(3) ड़ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी गौहरी रैंन्ज,राजस्व विभाग एवं पी० एम० जी० एस०वाई०–सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा किया गया,चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गई है।

1– प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग,चारागाह,गौचर,पनघट,कब्रिस्तान आदि की भूमि नही है।

जनपद गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर के ग्राम भेलदुंगा पट्टी तल्ला उदयपुर तहसील यमकेश्वर में नॉन०जेड़०ए० खतौनी खाता संख्या– 05 मध्ये खसरा संख्या– 635 मध्ये 9.720 है० भूमि कि श्रेणी–9(3) ड़ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

!! कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!

संख्या–2-452 / 8–एल०ए०सी०–(2020–2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20 ,2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव,राजस्व अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०–सिंचाई खण्ड कोटद्वार।
5– उपजिलाधिकारी,यमकेश्वर।
6– प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण,लैन्सडोन वन प्रभाग कोटद्वार।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

नकल खतौनी NON.Z.A

ग्राम - भेलदुंगा, पट्टी - उदयपुर तल्ला, तहसील - यमकेश्वर (गढ़वाल,

2	3	4	5	6	7	8—21
5	बंजर		635 782 802 ↓	10.337 X		मु० आ० तहसीलदार यम० दि० -03-12-2020 के आदेश जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल के R-4521B-एल०ए० सी०-(2020-2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20, 2020-परवाना-आदेश उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या-166/र०का० 2018-19 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम-नौगांव-बकुण्डी मोटर मार्ग पर किमी० 15.00 से 21.00 किमी के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 9.720 हे० राज्य सिविल भूमि विधिवत रूप से वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है, उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-बकुण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 9.720 हे० भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच की गयी, ग्राम बकुण्डी में क्षतिपूरक स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नही है जिस कारण उसके स्थान पर ग्राम भेलदुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला तहसील यमकेश्वर में नॉन-जेड०ए० खतौनी खाता-05 मध्ये खसरा संख्या-635 मध्ये 9.720 हे० भूमि की श्रेणी-9(3) ङ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की गयी हैं, प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी गौहर्दी रेंज राजस्व विभाग एवं पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा किया गया चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गयी है। 1. प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग, चारागाह, गौचर, पनघट, कब्रिस्तान आदि की भूमि नही है, जनपद गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर के ग्राम भेलदुंगा में पट्टी तल्ला उदयपुर, तहसील यमकेश्वर में नॉन-जेड०ए० खतौनी खाता सं०-05 मध्ये खसरा संख्या-635 मध्ये 9.720 हे० भूमि की श्रेणी-9(3) ङ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, ह०/- (धीराज सिंह गर्ब्याल) जिलाधिकारी गढ़वाल) 20 नवम्बर 2020,
			1608 1620	.026 13.539		
			28	13.535		

महोदय,
नकल असल से की गयी है,

(हस्ताक्षर) 11/12/2020
(महिपाल सिंह पुण्डीर)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र उदयपुर तल्ला-02/03
तहसील यम०के०श्वर
जिला- पौड़ी गढ़वाल

जाँच रिपोर्ट उप राजस्व निरीक्षक तल्ला उदयपुर

महोदय,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी० एम० जी० एस० वाई० सि० ख० कोटद्वार गढ़वाल के पत्रांक सं० 1771/ दिनांक 12/9/2016 एवम् श्रीमान तहसीलदार महोदय आदेश के परिपालन में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव कुकाडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल पर 9.72 हेक्टेयर भूमि बावत जाँच स्थलीय एवम् अभिलेखों अनुसार की गई, जाँच से विदित है कि ग्राम कुकाडी में क्षतिपूरक स्थल हेतु जगह उपलब्ध नही है, जिस कारण उस के स्थान पर ग्राम मेलडुँगा पट्टी तल्ला उदयपुर तहसील यमकेश्वर में NON ZA भूमि के खतौनी खाता सं० 5 मध्ये खसरा नं० 635 मध्ये 9.72 हेक्टेयर भूमि जो कि श्रेणी 9(3) उ० अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में उपयुक्त सिविल उत्तराखण्ड की भूमि चयनित की गई है।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रिपोर्ट सेवा में सम्प्रेषित है।

रमेश पाठक
उप राजस्व निरीक्षक
Cir. Talla Udaipur

संलग्न कागजात

(1) NON ZA खतौनी नकल - 1 वर्क।

अग्रसारित।

तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)

उद्धरण NON Z.A खतौनी नकल

ग्राम – मेलडुंगा   पट्टी – तल्ला उदयपुर II   तहसील – यमकेश्वर   जिला – पौड़ी गढ़वाल

क्र०सं०	खतौनी खाता सं०	खातेदार या काबिज का नाम/पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं०	क्षेत्रफल	तोक	अन्य विवरण	
		श्रेणी 6 (2) ख० अन्य खेती योग्य बंजर भूमि –					
1	5	बंजर	635	10.337	पलावणा		

नोट :- खसरा नं० 635 के मध्ये 9.72 हे० भूमि प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में उपयुक्त सिविल उत्तराखण्ड की भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण हेतु नकल दिया की गई है।

तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)

[illegible]

Scanned by CamScanner

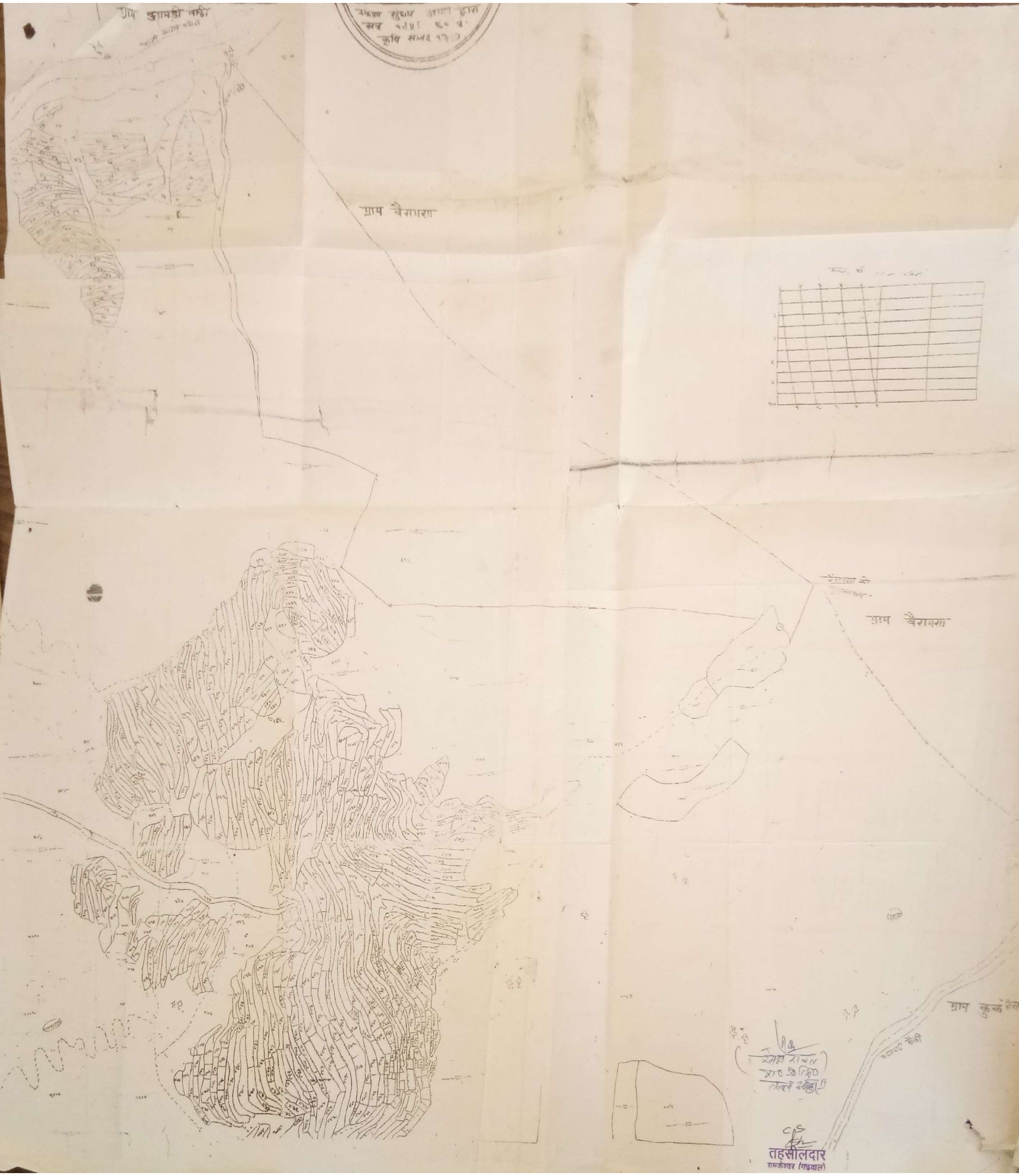

Scanned by CamScanner

डिजिटल मैप – जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत नौगांव–बुकण्डी (मिसिंग लिंक) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (भेलढुंगा सिविल क्षे0– 09.972 है0)

0 0.5 1 1.5 Km

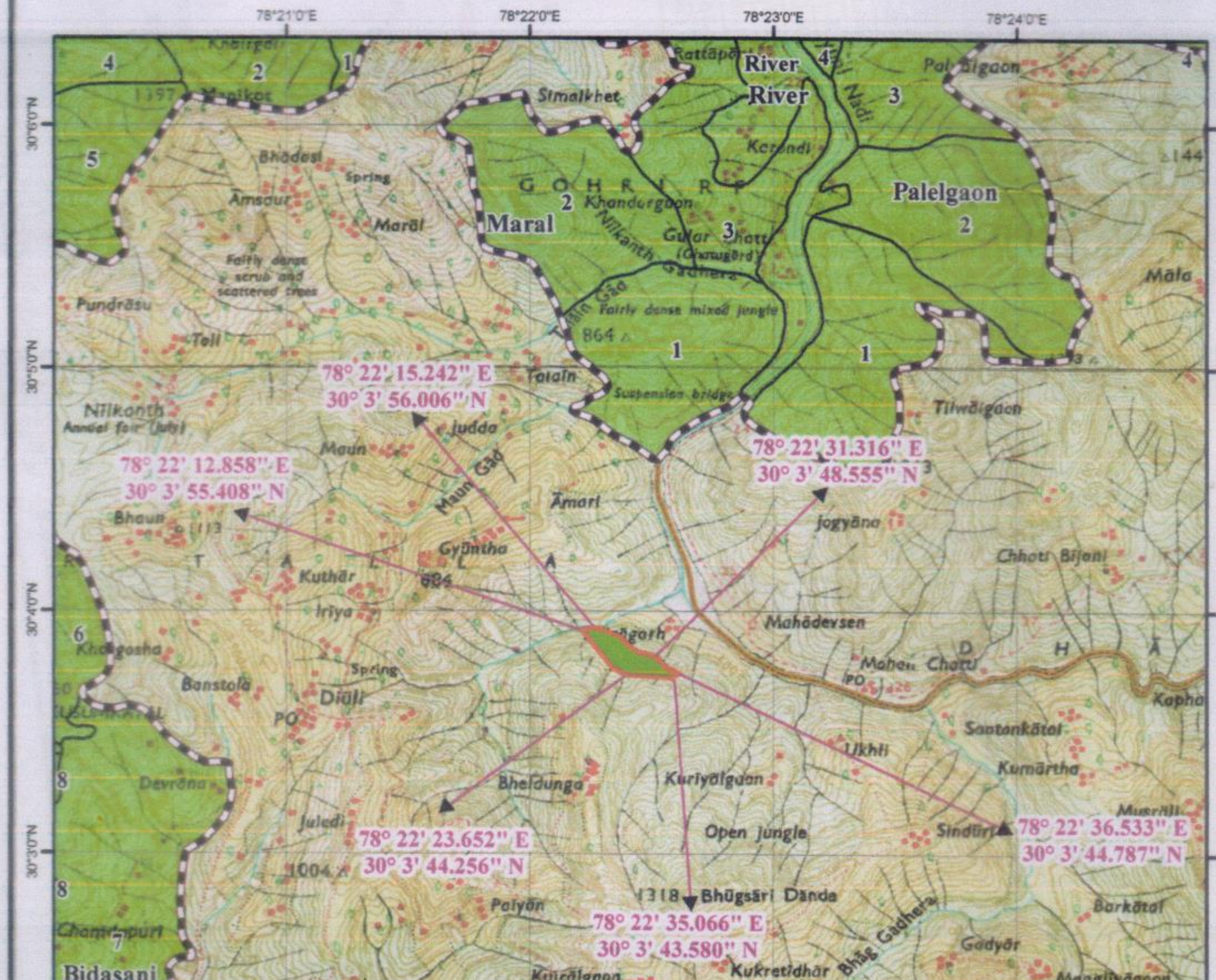

Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रैन्ज

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०(सिचाई खण्ड)
कोटद्वार(पौड़ी गढ़वाल)

उपजिलाधिकारी यमकेश्वर
कृते जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)

जियो रेफरेंस मैप – जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत नौगांव–बुकण्डी (मिसिंग लिंक) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (भेलढुंगा सिविल क्षे0– 09.972 है0)

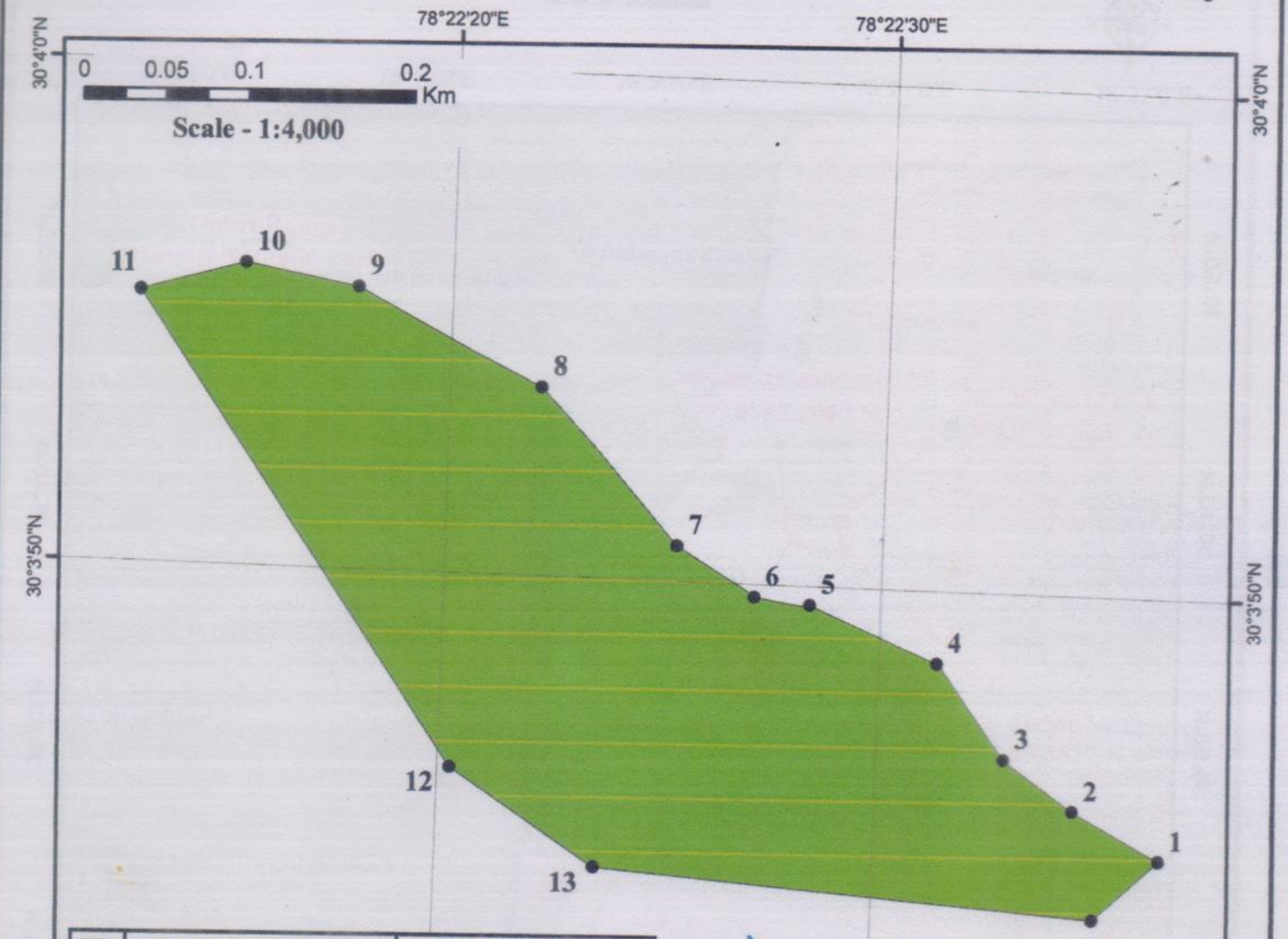

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 22' 36.533" E	30° 3' 44.787" N
2	78° 22' 34.526" E	30° 3' 45.713" N
3	78° 22' 32.921" E	30° 3' 46.694" N
4	78° 22' 31.316" E	30° 3' 48.555" N
5	78° 22' 28.373" E	30° 3' 49.621" N
6	78° 22' 27.103" E	30° 3' 49.736" N
7	78° 22' 25.303" E	30° 3' 50.697" N
8	78° 22' 22.102" E	30° 3' 53.743" N
9	78° 22' 17.835" E	30° 3' 55.613" N
10	78° 22' 15.242" E	30° 3' 56.006" N
11	78° 22' 12.858" E	30° 3' 55.408" N
12	78° 22' 20.281" E	30° 3' 46.141" N
13	78° 22' 23.652" E	30° 3' 44.256" N
14	78° 22' 35.066" E	30° 3' 43.580" N

Legend

- GPS Points
- Proposed Land

J.E

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara, Pauri Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल

तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)

भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज

SDM

उप जिलाधिकारी यमकेश्वर
कृते जिलाधिकारी गढ़वाल